



AUD/1-10 (89)/ बंदर भगानेवाला/2016-17/

तारीख : 17 सितंबर 2016

सेवा में,

विषय: अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के परिसर में बंदर भगाने वाले की तैनाती के लिये निविदा आमंत्रण नोटिस

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) अपने कश्मीरी गेट परिसर में प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैनात करने के लिये (बाद में " ठेकेदार" कहा जाता है) सक्षम बंदर संचालकों से मुहरबंद निविदा/ कोटेशन आमंत्रित करता है। उद्धरण विवरण विधिवत निविदा/ कोटेशन के रूप में रजिस्ट्रार, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली , लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110006 को एक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। लिफाफे पर " अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के परिसर में बंदर भगाने वाले की तैनाती के लिये निविदा " लिखा जाना आवश्यक है ।

निविदा / कोटेशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 13-10-2016 को 03.00 बजे दोपहर

निविदा / कोटेशन के खुलने की तारीख - 13-10-2016 को 03.30 बजे दोपहर

निविदा का प्रारूप हमारी वेबसाइट ' www.aud.ac.in ' से डाउनलोड किया जा सकता है। स्पष्टीकरण , यदि कोई हो, एयूडी प्रशासन डिवीजन से टेलीफोन नं 23863655 पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाकर्ताओं को ध्यान से निविदा दस्तावेज पढ़ना चाहिए और अपनी बोली को भेजने से पहले नियम और शर्तों का सख्ती से पालन करना चाहिए ।

डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रशासन)

सूचना के लिये अग्रेषित कॉपी :-

- 1- रजिस्ट्रार, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
- 2- वित्त नियंत्रक, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

निविदा बोली/ कोटेशन प्रस्तुत करने के लिये नियम एवं अनुबंधकी शर्तें

1. बंदर भगाने वाला अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के कश्मीरी गेट परिसर से बंदरों को दूर भगाने के लिये जिम्मेदार होगा। ऐसे कर्तव्यों का पालन करते समय पशु अधिनियम, 1960 और अन्य प्रासंगिक कृत्यों के प्रति क्रूरता की रोकथाम में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
2. बंदर भगाने वाले की सेवाओं को एक सप्ताह में सातों दिन उपलब्ध कराया जाएगा। वह बंदर भगाने वाला, जो एक विशेष दिन पर साप्ताहिक अवकाश पर है, की छुट्टी से राहत के लिए ठेकेदार दूसरे व्यक्ति की व्यवस्था करेगा। ठेकेदार को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले क्षेत्र को देखने की सलाह दी जाती है।
3. एयूडी इसी दर, नियम और शर्तों पर दिल्ली में अन्य परिसरों में बंदर भगाने वाले की सेवाओं को लगाने का अधिकार रखता है। ठेकेदार/ फर्म आवंटित काम के किसी भी भाग को किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को नहीं देंगे।
4. निविदा केवल एक बंदर भगाने वाले के लिये से दी जाएगी। हालांकि, ठेकेदार किसी भी दिन कम से कम तीन बंदर भगाने वाले की तैनाती करने में सक्षम होना चाहिए।
5. व्यक्ति / फर्म/ ठेकेदार को एक सरकारी संगठन / पीएसयू / स्वायत्त निकायों / प्रतिष्ठित निजी संगठनों में बंदर भगाने वाले की सेवाएं प्रदान करने में कम से कम 02 साल का अनुभव होना चाहिए। उसका कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित होना चाहिए।
6. व्यक्ति / फर्म/ ठेकेदार जिसे पिछले तीन वित्तीय वर्षों में एयूडी या किसी भी अन्य केन्द्रीय / राज्य सरकार संगठन / पीएसयू द्वारा काली सूची में डाला गया है, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे।
7. इसी तरह, व्यक्ति/ फर्म/ ठेकेदार जिनका पिछले तीन वित्तीय वर्षों में एयूडी या किसी भी अन्य केन्द्रीय/ राज्य सरकार संगठन/ पीएसयू द्वारा अपने अनुबंध को समय से पहले असंतोषजनक प्रदर्शन/ गैर प्रदर्शन होने के कारण सेवा समाप्त की गई है, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे। ठेकेदार को निविदा दस्तावेज़ परिशिष्ट बी के अनुसार एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा।
8. ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।
9. बंदर भगाने वाले के अनुपस्थिति की स्थिति में, महीने के बिल से कटौती की जाएगी।
10. ठेकेदार बंदर भगाने वाले को ड्यूटी के दौरान एक सीटी और एक छड़ी देगा।

11. सहायक रजिस्ट्रार (संपदा) एयूडी की ओर से अनुबंध संचालित करेंगे। बंदर भगाने वाले का मोबाइल नंबर एयूडी के एस्टेट डिवीजन के पास उपलब्ध होगा।
12. किसी भी समय पर कोई भी स्टाफ सदस्य फोन पर सीधे बंदर भगाने वाले से संपर्क कर सकते हैं। बंदर भगाने वाला तुरंत कॉल का जवाब देगा, और बिना देरी के स्टाफ सदस्य की सहायता करेगा।
13. ठेकेदार ऐसे सभी नुकसान / शुल्क और खर्चों के लिये एयूडी को क्षतिपूर्ति करेगा जिसके लिये विश्वविद्यालय को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ठेकेदार स्वयं या अपने सेवकों की लापरवाही के कारण किसी भी व्यक्ति को चोट या उसके द्वारा किए किसी भी नुकसान की स्थिति में दावों और मांगों का भुगतान करेगा। एयूडी बंदर भगाने वाले की इयूटी के दौरान लगी किसी भी चोट के लिये आर्थिक रूप से या अन्य रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।
14. इयूटी के दौरान यदि बंदर भगाने वाला घायल हो जाता है, तो भोजन, चिकित्सा सहायता की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी। किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त खर्च विश्वविद्यालय द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।
15. निविदा में उल्लेख नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए काम के आदेश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस स्थिति में एयूडी द्वारा कुछ भी नहीं देय होगा।
16. बोलियों के विलम्ब से प्राप्त होने (यानी नियत तारीख और समय के बाद) की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि, निविदा खोलने की समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं।
17. बयाना जमा राशि (ईएमडी) रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार केवल) **रजिस्ट्रार, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली** के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के रूप में बोली के साथ संलग्न की जाएगी। असफल निविदाकार की ईएमडी निविदा प्रक्रिया के पूरा होने के बाद वापस की जाएगी। निर्धारित बयाना राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर होने चाहिए।
19. अनुभव का विवरण यदि कोई हो, कार्य आदेश/ कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र के रूप में निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
20. एयूडी बोलियों/ कोटेशन को निविदा नोटिस में निर्दिष्ट समय और तारीख में, बोली लगाने वाले या भाग लेने के लिये अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोलेगा। बोली लगाने वाले या भाग लेने के

लिये अधिकृत प्रतिनिधि, अपनी उपस्थिति साक्ष्य के रूप में निविदा खोलने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगे।

21. एयूडी निविदा को पूरी या केवल एक भाग में स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। काम को अलग अलग हिस्से में एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच वितरित किया जा सकता है।

22. एयूडी निविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति का अधिकार सुरक्षित रखता है। विश्वविद्यालय न्यूनतम निविदा बोली स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एयूडी भी अपने हितों की रक्षा के लिये, इस निविदा दस्तावेज के किसी भी नियम व शर्तों को संशोधित करने और/ या छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. एयूडी किसी भी स्तर पर कोई कारण बताए बिना निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

24. बोली/कोटेशन निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिये मान्य होगी।

25. बंदर हैंडलर के लिए उद्धृत दरें समरूप श्रमिकों की श्रेणी के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा निर्धारित बुनियादी न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी। इस निविदा दस्तावेज में भरने वाली उद्धृत दर में सामग्री, श्रम, परिवहन, कर, शुल्क, रॉयल्टी, चुंगी, स्थानीय कर या लेवी की लागत, आदि अन्य सब कुछ शामिल होगा।

26. दरें सभी आवश्यक लागू करों के साथ भारतीय रुपयों में आंकड़े और शब्दों में उद्धृत की जानी चाहिए। उद्धृत दर निविदा के पुरस्कार की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी।

27. निविदाओं का मूल्यांकन एक निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा निविदाकर्ता द्वारा परिशिष्ट ए में उद्धृत दरों के आधार पर किया जाएगा ।

28. अगर दो या दो से अधिक निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरें बराबर हैं, तो निविदा सरकारी विभागों (केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू संगठनों आदि) में बंदर से निपटने के काम में अनुभव के वर्षों की कुल संख्या में अधिक अनुभव के आधार पर आवंटित की जाएगी ।

29. अगर दो या दो से अधिक निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत अनुभव बराबर है, तो निविदा व्यक्ति / फर्म के पिछले वित्त वर्ष में बंदर से निपटने के काम में अधिक कारोबार होने के आधार पर आवंटित की जाएगी ।

30. अनुबंध के आवंटन होने पर ठेकेदार सुरक्षा जमा के रूप में कुल कार्य आदेश के 5 प्रतिशत के बराबर राशि एक अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रजिस्ट्रार, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के पक्ष में जमा करेगी। इस राशि पर कोई ब्याज एकत्रित नहीं होगा। सुरक्षा राशि अनुबंध की समाप्ति के दो माह बाद दंड / अन्य देय राशि की कटौती के बाद, यदि कोई हो, देय होगी। असफल बोलीदाता की ईएमडी, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद और सुरक्षा राशि के जमा होने के बाद वापस कर दी जाएगी।

31. अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिये होगी। हालांकि, इसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर एक और साल के लिये बढ़ाया जा सकता है।

32. एयूडी, यदि इस उद्देश्य के लिये आवश्यक हो जाता है, अपनी मात्रा और गुणवत्ता में नीचे उल्लेख के रूप में किसी भी समय बदलाव कर सकता है: -

(a) मद/ व्यक्तियों/ सेवा की संख्या और/ या गुणवत्ता के रूप में वृद्धि/ कमी।

(b) कार्य आदेश जारी करने के बाद यदि आवश्यक हो, किसी भी तरह के आइटम/ व्यक्तियों/ सेवा में वृद्धि/ कमी।

(c) किसी भी आइटम/ व्यक्तियों/ सेवा की अतिरिक्त आवश्यकता होने पर ठेकेदार द्वारा आपूर्ति।

33. **दंड:** सेवा प्रदाता द्वारा कार्य न करने की स्थिति में, उपेक्षा, गुणवत्ता में गिरावट, काम में देरी, उसके द्वारा/ उसकी लापरवाही के कारण होने वाले किसी भी नुकसान की स्थिति में, एयूडी किसी भी पार्टी के खिलाफ बिना किसी पूर्वाग्रह के तहत दिल्ली राज्य में लागू कानून का निम्नलिखित अनुसार प्रयोग करेगा:

(a) ठेकेदार, जिसका उद्धरण स्वीकार किया गया है, के जोखिम और लागत पर कार्य आदेश बर्खास्त।

(b) क्षति, विफलता(परिणामी क्षति सहित) या डिफॉल्ट की वजह से नुकसान की राशि की वसूली।

(c) कार्य आदेश के कुल मूल्य के 10% तक का दंड और सुरक्षा जमा राशि जब्त।

(d) ठेकेदार / फर्म को काला सूचीबद्ध करना।

34. इस अनुबंध से उत्पन्न सभी विवादों को कुलपति, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, या उसके द्वारा नामित एक मध्यस्थ की मध्यस्थता के लिये भेजा जाएगा। उनका निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का आयोजन नई दिल्ली (भारत) में किया जाएगा।

35. सभी कानूनी विवादों को दिल्ली की अदालतों में ही दाखिल किया जाएगा।

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

तकनीकी जानकारी

क्र.स.	विवरण	जानकारी
1	व्यक्ति / कंपनी / फर्म का नाम	
2	पता (टेलीफोन सं और ई -मेल के साथ)	
3	सरकारी विभागों (केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू संगठनों आदि) में बंदर से निपटने के काम में अनुभव के वर्षों की कुल संख्या। प्रमाण संलग्न करें	
4	पिछले वित्त वर्ष में कारोबार	
5	पैन नंबर	

मूल्य बोली

क्र.स.	मद का विवरण	लेखा यूनिट	व्यक्ति	(आंकड़े और शब्दों में) प्रति व्यक्ति की दर
1	अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के परिसर से बंदरों को दूर रखने के लिये बंदर भगाने वाले की सेवाएं प्रदान करना	संख्या	01	Rs.
2	श्रम प्रभार / परिवहन प्रभार / शुल्क / कर और कर्तव्य आदि			
	अंक और शब्दों में प्रति व्यक्ति की दर (सभी करों सहित) कुल उद्धृत राशि			Rs.

1. मैं , बयाना जमा राशि (ईएमडी) रुपये 5000 / - (रुपये पांच हजार केवल) रजिस्ट्रार, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर संख्या _____ दिनांकित _____ बोली के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

2. मैंने सरकारी विभागों (केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू संगठनों आदि) में बंदर से निपटने के काम में अनुभव के वर्षों की कुल संख्या के प्रमाण संलग्न किए हैं ।
3. मैं पिछले दो वर्षों में सरकारी संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / प्रतिष्ठित निजी संगठनों में अनुभव के विवरण के रूप में कम से कम एक कार्य आदेश निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न कर रहा हूँ।
4. मैंने निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए हैं ।
5. मैं इसके द्वारा प्रमाणित कर रहा हूँ कि ऊपर प्रस्तुत भरा हुआ विवरण हमारे / मेरी जानकारी के अनुसार सही है । मैं समझता हूँ कि ऊपर भरे हुए विवरण में यदि कोई भी विचलन/ दूषण किसी भी स्तर पर पाया जाता है, तो मैं / मेरी फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा और भविष्य में किसी भी रूप में एयूडी के साथ काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

जगह:

निविदाकार के हस्ताक्षर

तारीख: / / _____

उपक्रम

प्रमाणित किया जाता है:

1. भारत या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या किसी अन्य राज्य सरकार के संस्थानों या प्रतिष्ठित निजी संस्थानों, सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विभागों / स्वायत्त संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों में से किसी ने भी मुझे / मेरी फर्म / ठेकेदार / कंपनी को कभी भी काला सूचीबद्ध नहीं किया है और कोई आपराधिक मामला आज _____ तारीख तक मेरी फर्म / ठेकेदार के खिलाफ लंबित नहीं है।

2. मेरे / हमारी कंपनी की सेवाओं को समय से पहले किसी भी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा असंतोषजनक प्रदर्शन / गैर प्रदर्शन होने के कारण पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कभी समाप्त नहीं किया गया है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

फर्म / ठेकेदार का नाम

फर्म / ठेकेदार की मुहर

जगह:

तारीख: _____

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के परिसर में बंदर भगाने वाले की तैनाती के लिये हस्ताक्षर किए जाने का समझौता

<अपेक्षित राशि के स्टाम्प पेपर पर>

बंदर भगाने वाले की तैनाती के लिये सेवा समझौता

इस समझौते को अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006, बाद में जो "एयूडी" के रूप में जाना जाता है,

और

M/s _____, एक कंपनी / फर्म जिसका कार्यालय _____ के पते पर है,

बाद में जो "ठेकेदार" के रूप में जाना जाता है,

के बीच _____ 2016 को क्रियान्वित किया जाता है

और दोनों उपर्युक्त उल्लिखित पार्टियों के निम्न शर्तों का पालन करने के लिये सहमत दलों के रूप में यह अनुबंध।

ठेकेदार ने निविदा दस्तावेज में उल्लेखित नियम और शर्तों के अनुसार एयूडी में बंदर भगाने वाले की तैनाती के लिये पूरा समाधान प्रदान करने के लिये निविदा प्रस्तुत की है। निविदा स्वीकार की गई है और ठेकेदार ने इस समझौते की पूर्ति के लिये सुरक्षा के रूप में सक्षम प्राधिकारी के पास रुपये _____ (रुपए _____ केवल) की राशि जमा की है।

अब एतद्वारा पार्टियों के बीच इस के साथ यह सहमति हुई है:

1. ठेकेदार ने निविदा दस्तावेज संख्या _____ दिनांकित _____ में निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार अनुबंध स्वीकार कर लिया है, जो इस समझौते की अवधि के दौरान वैध/ लागू रहेगा।

2. ठेकेदार द्वारा समझौते की शर्तों का कोई भी उल्लंघन करने पर, सक्षम प्राधिकारी, लिखित में एक नोटिस जारी कर सकता है, और नुकसान निर्धारित कर पूर्ववर्ती उल्लंघनों के लिये दावा करने के एयूडी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस समझौते को खत्म कर सकता है, समझौते को पूरा करने में ठेकेदार की विफलता से हुए नुकसान के उचित मुआवजे के लिये एयूडी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया लिखित प्रमाण पत्र ठेकेदार द्वारा देय इस तरह के मुआवजे की राशि का निर्णायक सबूत होगा।

3. यह प्रमाण होने पर कि इस समझौते की अवधि समय अन्यथा वैधता के कारण खत्म की गई है, इस तरह के संकल्प की तारीख से दो महीने की समाप्ति के बाद सुरक्षा जमा राशि बिना ब्याज ठेकेदार को लौटा दी जाएगी, लेकिन इस समझौते के नियम और शर्तों के तहत सरकार को देय दंड / अन्य देय राशि की कटौती के बाद, यदि कोई हो, ही वापस की जाएगी।

4. यह समझौता अधिकृत प्रतिनिधियों के हाथों विधिवत हस्ताक्षर कर प्रारंभ होने की तारीख से 12 महीने की समाप्ति तक लागू रहेगा, लेकिन सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में एक महीने का नोटिस देने पर किसी भी समय ठेकेदार को प्रतिकारी के बिना अनुबंध रद्द कर सकते हैं।

5. सक्षम प्राधिकारी अनुबंध के संबंध में नोटिस दे सकता है। एयूडी द्वारा दिये जाने वाले भुगतान के बदले में ठेकेदार सेवा प्रदान करने और दोष के निवारण के लिये अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप काम करेगा।

6. सक्षम प्राधिकारी सेवा प्रदान करने और दोष के निवारण करने के लिये, अनुबंध की कीमत या इस तरह की अन्य राशि अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप ठेकेदार को दे सकता है।

7. यदि ठेकेदार नियंत्रण से परे परिस्थितियों के अधीन (अप्रत्याशित घटना) की हालत में अनुबंध निविदा में वर्णित शर्तों के अनुसार सेवाओं को प्रदान करने में विफल रहता है, उस मामले में सक्षम प्राधिकारी ठेकेदार को कारण नोटिस देने के बाद ठेकेदार के खतरे और राशि पर किसी अन्य संगठन से सेवाएं प्राप्त करने का हकदार होगा, अभी तक नहीं आई सेवाओं के के मामले में भी, अनुबंध रद्द किए बिना।

8. उपरोक्त कार्रवाई के मामले में ठेकेदार ऐसे हर एक नुकसान के लिये उत्तरदायी होगा, जो सक्षम प्राधिकारी/ एयूडी किसी अन्य संगठन से सेवाएं प्राप्त करने के बदले उठाता है। दंड राशि की वसूली एक क्रेडिट नोट के द्वारा निर्धारित अवधि में बिल राशि से की कटौती करके की जाएगी।

साक्षी में पार्टियों ने इस समझौते पर विधिवत हस्ताक्षर अधिकृत प्रतिनिधियों के हाथों से कर क्रियान्वित किया है, पूर्वोक्त लिखित दिन, महीने और साल पर।

हस्ताक्षर:

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
की ओर से हस्ताक्षर किए

साक्षी 1 _____

साक्षी 2 _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

M/s

की ओर से हस्ताक्षर किए

साक्षी 1 _____

साक्षी 2 _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता